राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/प–2/1/7/रातस/2022/9111 दिनांकः– 16/6/22

:: आदेश ::

राजस्व मण्डल के समसंख्यक आदेश क्रमांक 8883 दिनांक 3.06.2022 के द्वारा श्री रामकुमार तहसीलदार नोहर जिला हनुमानगढ़ का स्थानान्तरण/पदस्थापन तहसीलदार मनिया जिला धौलपुर के पद पर एवं श्री संजय कुमार तहसीलदार मनिया जिला धौलपुर का स्थानान्तरण/पदस्थापन तहसीलदार नोहर जिला हनुमानगढ़ के पद पर किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री रामकुमार तहसीलदार द्वारा मा. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 8516/2022 रामकुमार बनाम सरकार दायर की गयी ।

उक्त दायर याचिका में मा. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने आदेश दिनांक 9.6.2022 पारित कर राजस्व मण्डल के स्थानान्तरण आदेश 03.06.2022 के प्रभाव एवं कियान्वन को याचिकाकर्ता के सम्बंध में स्थगित किया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2022 की पालना में राजस्व मण्डल के आदेश क्रमांक 8883 दिनांक 03.06.2022 के द्वारा श्री रामकुमार, तहसीलदार नोहर जिला हनुमानगढ का तहसीलदार मनिया जिला–धौलपुर के पद पर किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन निरस्त कर इन्हें यथावत तहसीलदार नोहर जिला–हनुमानगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है। उक्त के परिणामस्वरूप श्री संजय कुमार तहसीलदार नोहर जिला हनुमानगढ़ को एपीओ किया जाकर मुख्यालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निर्धारित किया जाता है।

आदेशानुसार,

16/6/22

(महावीर प्रसाद)

निबन्धक

राजस्व मण्डल राज., अजमेर

क्रमांकः सम/9112-9124 दिनांकः– 16/6/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग ,शासन सचिवालय राज. जयपुर ।
3. संभागीय आयुक्त भरतपुर/बीकानेर।
4. जिला कलक्टर धौलपुर/हनुमानगढ़।
5. प्रभारी अधिकारी (रिट) राजस्व मण्डल को मय न्यायालय के आदेश की प्रति के अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/जांच/कम्प्यूटर) राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
7. सम्बंधित श्री ....।
8. आदेश पंजिका / निजी पत्रावली।

(दीप्ति शर्मा)

अतिरिक्त निबन्धक (रातस)

राजस्व मण्डल राज., अजमेर

Scanned with CamScanner